फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

हनुमानराम वगै.
बनाम
डुंगराराम वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट न. ५७ सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2022	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री भगवानदास गोयल उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 16/2022 बअनवान हनुमानराम वगै. बनाम डूंगराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 23.02.2022 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मूल वाद के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी को खुर्द बुर्द किया जाता है कि तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना संभव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल वाद के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी को खुर्द बुर्द किया जाता है तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील एडमिशन स्टेज पर आंशिक स्वीकार कर अस्थाई व्यादेश से रेस्पोडेंटस को पाबंद किया जाता है कि मौजा शिवाजी नगर पटवार हल्का कानासर के खेत खसरा संख्या 63 रकबा 23.11 बीघा, खसरा संख्या 245 रकबा 01.12 बीघा एवं खसरा संख्या 62 रकबा 08 बिस्वा कुल रकबा 25.11 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तहरीर जारी हो। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 की पालना में रेस्पोडेंटगण के नाम सम्मन जारी कर जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. भेजने हेतु अधिवक्ता अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर रेस्पोडेंटस के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवा कर तीन दिवस में रसीदे अधीनस्थ न्यायालय में पेश करे अन्यथा स्थगन पर मातहत अदालत विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु अग्रसर होगा। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि हस्तगत आवेदन में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए अधिकतम दो माह में निस्तारण करे। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.04.2022 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	